न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 44/2017

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1. राजकुमार पुत्र बाबुलाल
2. गोपाल पुत्र बाबुलाल
3. इन्द्रा पुत्री बाबुलाल

जाति-दिशान्तरी निवासी/तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान

1. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राज0 सरकार

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.15/03/2017

उपस्थित:. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 19/02/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-जैतारण में वादीगण एवं अन्य खातेदारान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 86 रकबा 7-01 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त भूमि में वादीगण माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। नकल जमाबन्दी संवत 2068 से 2072 की पेश है। उक्त कृषि भूमि के अन्य खातेदारान के विरुद्ध कोई अनुतोष नही होने से उन्हें इस वादपत्र में बतौर प्रतिवादीगण के पक्षकार नही बनाया है। खातेदार सोहनीदेवकी मृत्यु होने से उसे पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण के दादा गुलाबजी की मृत्यु होने पर तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी ने म्युटेशन स्वीकृत करते समय वादीगण के पिता व पति का नाम बालू पुत्र गुलाब इन्द्राज कर दिया गया जो गलत है जबकि सही नाम बाबुलाल है। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात बाबुलाल के मृत्यु प्रमाण-पत्र, विद्युत बिल तथा निर्वाचन नामावली से साबित है। इसलिए वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रेकर्ड में बाबुलाल दर्ज करने बाबत यह वादपत्र पेश है। वादीगण के पिता बाबुलाल का नाम जमाबन्दी में बालू इन्द्राज होने से उन्हें बैंक से ऋण लेने में व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी व वंचित होना पड़ता है इस बाबत वादीगण ने नाम संशोधन करने बाबत प्रतिवादी के कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिनांक 19/9/2016 को देने पर उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत कहा तब श्रीमान के यहां यह वादपत्र घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 19/09/2016 को प्रतिवादी के यहां वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंनें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा तब बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के अधिकार क्षेत्र मे है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा पेश किया, जो सा0मि0 हैं। वकील वादी ने नगर पार्षद वार्ड नं. 7 का प्रमाण पत्र पेश किया कि बाबुलाल पुत्र गुलाबजी जोशी वार्ड संख्या 07 के निपासी हैं, जिनके दो पुत्र राजकुमार, गोपाल हैं एक पुत्री हैं। बाबुलाल उर्फ बालुराम नाम का एक व्यक्ति ही हैं। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट ली गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद–पत्र के साक्ष्य सबूत में बाबुलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बिजली का बिल की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादीगण का सही नाम बाबुलाल ही हैं। राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता का नाम गलत रूप से बालुराम दर्ज नाम के स्थान पर बाबुलाल दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–जैतारण में वादीगण एवं अन्य खातेदारान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 86 रकबा 7–01 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का नाम गलत दर्ज नाम बालुराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम बाबुलाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/02/201 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner